इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2018—आषाढ़ 22, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. 5571-एफ-3-14-2018-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 13 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2698-3752-तेरह-75, दिनांक 22 जुलाई 1975 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त यिनमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"5. **शुल्क तथा ब्याज की वसूली**—

जहां विद्युत शुल्क के देयक नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किए गए हैं, तो उसके पश्चात् उस पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित, संदत्त करने होंगे.

टीप:—(ब्याज की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, माह के किसी भाग को पूर्ण माह के बराबर माना जाएगा)."

No. 5571-F-3-14-2018-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-Section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 2012 (No. 17 of 2012) and in suppression of this department's Notification No. 2698-3752-XIII-75, dated 22 July 1975, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. Recovery of Duty and Interest:—

Where the dues of the Electricity Duty is not paid within the period specified under rule 3, the same shall be paid thereafter with interest, at the rate of 12 percent per annum, thereon.

Note: (For the purpose of calculating interest, part of a month shall be treated as equal to a month).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2018

क्र. एफ-2-01-2018-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन एतद्द्वारा निर्णय लिया गया कि:—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के परिपत्र क्रमांक 2-1-21-2017-अ-तेहत्तर, दिनांक 16-11-2017 से जारी योजनाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जावे:—

(अ) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत बिन्दु 1.1 (ii) पात्रता अन्तर्गत निम्नानुसार बिन्दु (घ) स्थापित किया जावे—

(घ) स्वसहायता समूह **(SHG)** : महिला स्वसहायता समूहों तथा महिला स्वसहायता समूह फेडरेशन के द्वारा इकाई स्थापना के लिए.

(ब) मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अन्तर्गत बिन्दु 1.2 (ii) पात्रता अन्तर्गत निम्नानुसार बिन्दु (ङ) स्थापित किया जावे—

(ङ) स्वसहायता समूह **(SHG)** : महिला स्वसहायता समूहों तथा महिला स्वसहायता समूह फेडरेशन के द्वारा इकाई स्थापना के लिए.

(स) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बिन्दु 1.3 (ii) पात्रता (ख) शैक्षणिक योग्यता स्वसहायता समूह के प्रकरणों के लिए प्रावधान तथा बिन्दु (घ) स्वसहायता समूह हेतु निम्नानुसार स्थापित किया जावे—

(ख) शैक्षणिक योग्यता :न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण. परन्तु महिला स्वसहायता समूहों में से कम से कम 2 सदस्य न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण/शेष सदस्यों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता.

(घ) स्वसहायता समूह **(SHG)** : महिला स्वसहायता समूहों तथा महिला स्वसहायता समूह फेडरेशन के द्वारा इकाई स्थापना के लिए एवं अन्य नवीन उद्यम स्थापना के लिए.

(2) सक्रिय/क्रियाशील महिला स्वसहायता समूहों/महिला स्वसहायता समूह फेडरेशन को उपरोक्त पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिलाया जावेगा अर्थात् इन महिला स्वसहायता समूहों/महिला स्वसहायता समूह फेडरेशन के सभी प्रकरणों को प्रायोजित/प्रोत्साहन प्रबंधन/अनुश्रवण आदि इन विभागों द्वारा किया जावेगा और वह इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रावधान करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2018, 4576.— भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्न योजनाओं में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये एतद् द्वारा संशोधन करता है :–

अर्थात

क्र.	योजना का नाम	पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक	संशोधन
1	औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	05 दिसम्बर 2014 तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	असंगठित श्रमिकों के लिये प्रवर्तित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत **उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना** में उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक को समान हितलाभ देय होंगे।
2.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना 2004,	13 दिसम्बर 2004 तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	असंगठित श्रमिकों के लिये प्रवर्तित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत **मुख्यमंत्री जन कल्याण(शिक्षा प्रोत्साहन योजना)** हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों की संतानों को योजनांतर्गत उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप समान हितलाभ देय होंगे।
	मेधावी छात्र/छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना 2004,	18 जुलाई 2014 तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	
	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना 2013	16 अगस्त 2013 तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	

3.	प्रसूति सहायता योजना	13 दिसम्बर 2004 तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	असंगठित श्रमिकों के लिये प्रवर्तित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत **मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता योजना)** में उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप पंजीकृत हिताधिकारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी को समान हितलाभ देय होंगे।
4.	**"मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना"**	18 जुलाई 2014, तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	असंगठित श्रमिकों के लिये प्रवर्तित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत संचालित **अंत्येष्टि सहायता योजना तथा अनुग्रह सहायता योजना** में उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप हिताधिकारी निर्माण श्रमिक को भी समान हितलाभ देय होंगे।
5.	व्यवसायिक (यू.जी./पी. जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014	05 दिसम्बर 2014 तथा समय समय पर जारी समस्त संशोधन संबंधी अधिसूचनाऐं	असंगठित श्रमिकों के लिये प्रवर्तित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग योजना** लागू होने पर हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजनांतर्गत उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप समान हितलाभ देय होंगे।

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2018

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2018, 4593.— भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (2) सहपठित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित योजना **"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास(नगरीय) योजना 2013"** में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा विशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को एतद द्वारा निरस्त करता है तथा **"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018"** अधिसूचित करता है :–

"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018"

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना– (1) यह योजना **"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018"** कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं पर लागू होगी।

(ख) परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) "अधिनियम" – का आशय "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" से अभिप्रेत है।

(2) "नियम" – का आशय "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002" से अभिप्रेत है।

(3) "बोर्ड या मण्डल" – से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" से अभिप्रेत है।

(4) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त "मण्डल के सचिव" से अभिप्रेत है।

(5) "हिताधिकारी" से आशय "समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों" से अभिप्रेत है।

(6) इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जिन्हें अधिनियम या नियम में परिभाषित किया गया है वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

(ग) योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता –

पात्रता :–

(1) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में पंजीयन उक्त योजना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व हुआ है वे योजना में हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन उक्त योजना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात हुआ है, वे पंजीयन दिनांक से एक वर्ष उपरांत योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(घ) योजना का विवरण एवं हितलाभ :–

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा हितग्राही को अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पात्र पाये गये हितग्राहियों में से यदि कोई हितग्राही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो उसे केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से रूपये 01 लाख सहायता राशि के रूप में मण्डल से नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित करने वाले नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रदान किया जायेगा।

(ङ) योजनांतर्गत सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया –

(1) योजनांतर्गत पात्रता तथा आवेदन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप होगी।

(2) पात्र पाये गये पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची उनके यूनिक पोर्टल कोड (पंजीयन क्रमांक) के साथ एकजाई रूप से नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित जिले की सूची प्रतिमाह जिला श्रम कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु प्रति हितग्राही रूपये 01 लाख दर से सहायता राशि योजना संचालित करने वाले विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ई.पी.ओ. पद्धति के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

(3) योजना के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप होगी तथा पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का चयन भी नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जावेगा।

इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि मात्र पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हेतु ही उपयोग में लाई जायेगी।

(च) पदाभिहित अधिकारी– सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी।

(छ) विसंगति का निवारण– योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

एल. पी. पाठक, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

क्र. 695-522-पीएस-श्रम-2018.—इस विभाग के ज्ञाप दिनांक 17 मई, 2018, द्वारा निम्नानुसार योजनाएं स्वीकृत करते हुये राजपत्र में अधिसूचित की गई थी:—

(1) मुख्यमंत्री जनकल्याण (अन्त्येष्टि सहायता) संबल योजना, 2018

(2) मुख्यमंत्री जनकल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान) संबल योजना, 2018

(3) मुख्यमंत्री जनकल्याण (उपकरण अनुदान) संबल योजना, 2018

2. श्रम विभाग के परिपत्र क्र. 589-पीएस-श्रम-2018 दिनांक 29 मई 2018 द्वारा उक्त तीनों योजनाओं के स्थान पर "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018" स्वीकृत की गयी है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 17 मई 2018 को जारी उपर्युक्तानुसार योजनाएं निरस्त करता है.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. आर.एफ. 4586.— ए-सोलह, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996(1996 का 27) की धारा 62 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 278 के संलग्न-

(1) अनुसूची 13 में शीर्षक "2 गृह निर्माण के लिए सहायता" में मद 2.2 के पश्चात् निम्नलिखित मद एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाती है अर्थात्:-

अनुसूची 13

प्रसुविधाएं

(नियम 278(2) देखिए)

प्रसुविधा का नाम	प्रसुविधा की प्रकृति	वह व्यक्ति जिसे प्रसुविधा देय होगी	नियम 277 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त पात्रता की शर्ते यदि कोई हों	उस दर के संबंध में मागदर्शी सिद्धांत जिस पर कि प्रसुविधा दी जा सकेगी	प्रसुविधा दिए जाने की अन्य शर्ते, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3 आवास क्रय करने हेतु अनुदान	किसी शासकीय अथवा स्थानीय निकाय द्वारा पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिकों हेतु संचालित किसी आवासीय योजना में आवास क्रय करने हेतु अनुदान	पंजीकृत हिताधिकारी को योजना के अनुसार	पंजीकृत हिताधिकारी को योजना के अनुसार	पंजीकृत हिताधिकारी को योजना के अनुसार	पंजीकृत हिताधिकारी को योजना के अनुसार

शेष सारणी यथावत रहेगी।

क्र. आर.एफ.' 4587.— ए–सोलह, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996(1996 का 27) की धारा 62 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 277 में विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात :–

सारणी

		प्रसुविधा	न्यूनतम वर्षो की संख्या, जिसके लिए किसी हिताधिकारी द्वारा निधि में अंशदान किया हुआ होना चाहिये
		(1)	(2)
1.		**पेंशन**	दो वर्ष
	1.1	वृद्धावस्था पेंशन	
	1.2	परिवार पेंशन	
	1.3	निःशक्तता सहायता पेंशन	
2.		**गृह निर्माण सहायता**	योजना के नियमानुसार
	2.1	मकान के क्रय या निर्माण के लिए ऋण/अनुदान	
	2.2	किसी गृह निर्माण वित्तीय संस्था से लिये गए गृह ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	
	2.3	स्वयं आवास निर्मित करने अथवा किसी शासकीय/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित योजना में आवास क्रय करने/आवास में परिर्वधन करने हेतु ऋण/ब्याज सब्सिडी/अनुदान	पंजीकृत हिताधिकारी को योजना के अनुसार
3.		**शिक्षा सहायता**	
	3.1	छात्रवृत्ति/शिक्षा प्रोत्साहन राशि (या सब्सिडी)	पंजीयन दिनांक से
	3.2	शिक्षा ऋण	एक वर्ष
	3.3	किसी वित्तीय संस्था से लिये गए ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	एक वर्ष
	3.4	मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार/अनुदान	पंजीयन दिनांक से
	3.5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान	पंजीयन दिनांक से
	3.6	प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान	पंजीयन दिनांक से

4.		आय संवर्धन के लिये सहायता	दो वर्ष
	4.1	औजारों तथा छोटी मशीनों के क्रय हेतु ऋण/अनुदान	
	4.2	अनुपूरक आय में सहायक क्रियाकलापों के लिये ब्याज सब्सिडी	
5.		विवाह सहायता	पंजीयन दिनांक से
6.		चिकित्सा सहायता	पंजीयन दिनांक से
7.		प्रसूति सहायता	पंजीयन दिनांक से
8.		बीमा सहायता	पंजीयन दिनांक से
	8.1	समूह बीमा	
	8.2	बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता	
9.		मृत्यु के मामले में सहायता	पंजीयन दिनांक से
	9.1	अंतिम संस्कार सहायता	
	9.2	अनुग्रह राशि भुगतान	
10.		श्रमिक कौशल प्रशिक्षण	पंजीयन दिनांक से
11.		संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अनुदान	पंजीयन दिनांक से
12.		पीठ श्रमिक शेड/आश्रय	पंजीयन दिनांक से
13.		खिलाडी प्रोत्साहन सहायता	पंजीयन दिनांक से

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.